परिपत्र सं. 91/10/2019-जीएसटी

फाइल सं. सीबीईसी - 20/16/04/2018 - जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग
नई दिल्ली, दिनांक -18 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय:- जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए सीमा शुल्क गोदाम में जमा कराते समय गोदाम माल की आपूर्ति हेतू किए गए कर भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान दिनांक 25.05.2018 के परिपत्र संख्या 3/1/2018-आईजीएसटी की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा गोदाम में जमा माल के अंतरित/बेचे जाने पर माल (इसके बाद इसे ''भंडार माल'' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर एकीकृत कर की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया गया था। कथित परिपत्र में यह स्थापित किया गया था कि 1 अप्रैल 2018 से गोदाम से निकासी से पूर्व भंडार माल की आपूर्ति एकीकृत कर लगाने के अधीन नहीं होगी।

2. बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि (इसके बाद ''उक्त अवधि'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के दौरान ऐसे आपूर्तिकर्ताओं विशेषकर एक ही राज्य और संघ शासित प्रदेश में रहने वाले आपूर्तिकर्ता और माल प्राप्तकर्ता के लिए फार्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित विवरण में सामान्य पोर्टल में करदाता के लिए एकीकृत कर के भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अत: ऐसी आपूर्तियां करने वाले करदाताओं ने ऐसी आपूर्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के रूप में रिपोर्ट दी हैं और तदनुसार एकीकृत कर के स्थान पर केंद्रीय कर और राज्य कर का निर्वहन किया। अब इसे स्पष्ट करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

3. क्षेत्र गठन के दौरान कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एततद्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है:-

4. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क गोदामों में जमा माल की आपूर्ति का अंतर्राज्यीय स्वरूप है। परंतु कॉमन पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आपूर्तिकर्ताओं ने ऐसी आपूर्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के रूप में रिपोर्ट दी है और एकीकृत कर के स्थान पर केंद्रीय कर तथा राज्य कर का निर्वहन किया है। ऐसे कर भुगतान की राजस्व तटस्थ स्थिति और फार्म जीएसटीआर-1 में लेन-देन की प्रकृति की सही रिपोर्ट देने की सुविधा का कॉमन पोर्टल पर जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक उपलब्ध न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि एक अपवाद स्वरूप जहां तक ऐसी आपूर्तियों पर कर के भुगतान तथा जब तक ऐसी आपूर्तियों पर दिए गए केंद्रीय कर अथवा राज्य कर देय एकीकृत कर की देय राशि के बराबर है आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने ऐसी आपूर्तियों पर केंद्रीय कर तथा राज्य का भुगतान कर दिया है तो माना जाएगा कि उन्होंने कानून के प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

6. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई यदि कोई हो, तो उसको बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(उपेन्द्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)